

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1823]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 20, 2016/आषाढ़ 29, 1938

No. 1823]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 20, 2016/ASADHA 29, 1938

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2016

का. आ. 2474(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, सड़क परिवहन राजमार्ग विभाग की अधिसूचना संख्या का.आ. 243(अ) दिनांक 24 जनवरी 2014 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में तारीख 24 जनवरी 2014 को प्रकाशित की गयी थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, जिला “ पुणे ” से संबंधित क्रम संख्या 3 के सामने, तालुक “ जुन्नर ” पुलिस थाना “ नारायणगांव ” के पश्चात प्रविष्टि पुलिस थाना “ आले फाटा ” के सामने स्तंभ संख्या 7 में ग्राम “ आनंदवाडी ” अंतः स्थापित की जाएगी।

[फा.सं. आरडब्ल्यू/एनएच-37014/18/2013-एनएचडीपी-IVA]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

पाद टिप्पणी:— (i) मूल अधिसूचना, का.आ. 243(अ). दिनांक 24 जनवरी 2014 द्वारा भारत सरकार के राजपत्र, असाधारण, भाग II खंड 3, उप-खंड (ii), दिनांक 24 जनवरी, 2014 को प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

CORRIGENDUM

New Delhi, the 20 th July, 2016

S.O. 2474(E).—In exercise of the powers conferred by Clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways (Department of Road, Transport and Highways) Number S.O. 243(E) dated 24th January 2014 published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section-3, sub-section (ii) dated 24th January 2014 namely :-

In the schedule, to the said notification, against serial number 3 relating to District “Pune”, against taluk “Junnar” after Police station “Narayangaon” the entry Police station “Ale Phata” in the column no. 7 village name “Anandwadi”, shall be inserted.

[F. No. RW/NH-37014/18/2013/NHDP-IVA]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.

Foot Note—(i) The Principal Notification was published vide S.O. 243(E), dated the 24 January 2014 in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 24 January, 2014.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2016

का.आ. 2475(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 222 के कि.मी 101/000 से कि.मी 161/000 तक के भूखण्ड (मलशेजघाट के अन्त से अनीघाट के प्रारम्भ तक सेक्शन) का निर्माण (चौड़ा करने दो/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे दी गई अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा;

ऐसा प्रत्येक आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी अर्थात् विशेष, उप जिला अधिकारी भूमि अधिग्रहण क 17 पुणे को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात् यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा; और

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू-रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 222 के कि.मी 101/000 से कि.मी 161/000 तक (मलशेजघाट के अन्त से अनीघाट के प्रारम्भ तक सेक्शन) के लिये अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

क्रम संख्या	जिला का नाम	तालुक का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	पुणे	1. जुन्नर	(1) पारगांव	24 भाग	निजी	शुष्क	2000
				25 भाग	निजी	शुष्क	1300
			(2) गुलचवाडी	18/1 भाग	निजी+सरकार	शुष्क	600
				18/2 भाग	निजी	शुष्क	1300
				9 भाग	निजी	शुष्क	300
				4/2क भाग	निजी	शुष्क	600
				4/2ब भाग	निजी	शुष्क	400

क्रम संख्या	जिला का नाम	तालुक का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)
1	2	3	4	5	6	7	8
				3 भाग	निजी	शुष्क	1000
				2/1 भाग	निजी	नम+शुष्क	150
				2/2 भाग	निजी	शुष्क	500
				2/3अ भाग	निजी	शुष्क	200
				2/3ब भाग	निजी	शुष्क	60
				गावठाण	निजी	शुष्क	1300
				1/1 भाग	निजी	शुष्क	100
				1/2 भाग	निजी	शुष्क	60
				1/5 + 1/6 भाग	निजी	शुष्क	20
				198 भाग	निजी	नम+शुष्क	900
				169/1 भाग	निजी	शुष्क	400
				169/2 भाग	निजी	शुष्क	150
				169/3 भाग	निजी	शुष्क	100
				169/4 भाग	निजी	शुष्क	80
				169/5 भाग	निजी	शुष्क	25
				169/6 + 169/7 भाग	निजी	शुष्क	30
				170 भाग	निजी	शुष्क	400
				168 भाग	निजी	नम+शुष्क	100
				197/4अ भाग	निजी	शुष्क	150
				197/4ब भाग	निजी	शुष्क	40
				197/4क भाग	निजी	शुष्क	80
				197/5 भाग	निजी	शुष्क	100
				167 भाग	निजी	नम+शुष्क	100
				166 भाग	निजी	नम+शुष्क	100
				165 भाग	निजी	नम+शुष्क	100
				164/1 + 164/2 भाग	निजी	नम+शुष्क	100
				172 भाग	निजी	शुष्क	700
				173/1 भाग	निजी	शुष्क	900
				175 भाग	निजी	शुष्क	800
				177 भाग	निजी	शुष्क	150
				183/1 + 183/2 भाग	निजी	शुष्क	1000
				158 भाग	निजी	नम+शुष्क	1000
				20 भाग	निजी	शुष्क	400
				171 भाग	निजी	शुष्क	1600
				184 भाग	निजी	नम+शुष्क	1100
			(3)	4 भाग	निजी+सरकार	शुष्क+नम	2200

क्रम संख्या	जिला का नाम	तालुक का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)
1	2	3	4	5	6	7	8
			सितेवाडी				
				7 भाग	निजी	शुष्क+अकृषिक	2800
				64/10 भाग	निजी	नम	500
				64/11 भाग	निजी	शुष्क	1800
				64/12 भाग	निजी	नम	600
			(4) उदापूर	410 भाग	निजी	शुष्क	500
				419 भाग	निजी	नम+अकृषिक	700
				417 भाग	निजी	शुष्क	400
				424 भाग	निजी	शुष्क	300
			(5) ओतूर	583 भाग	निजी	नम+शुष्क	200
				580 भाग	निजी	नम+शुष्क+अकृषिक	692
				581 भाग	निजी	शुष्क	622
				559 भाग	निजी	शुष्क+अकृषिक	657
				556 भाग	निजी	शुष्क+अकृषिक	200
				565 भाग	निजी	शुष्क+अकृषिक	190
				179 भाग	निजी+सरकार	शुष्क+अकृषिक	251
				178 भाग	निजी	नम+शुष्क	351
				579 भाग	निजी	नम+अकृषिक	844
				558 भाग	निजी	शुष्क+अकृषिक	30

[फा सं. आरडब्ल्यू/एनएच-37014/18/2013-एनएचडीपी-IVए.]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th July, 2016

S.O. 2475(E). – In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two-laning with paved shoulders/four-laning. etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 222, in the stretch of land from Km 101/000 to Km 161/000 (From End of Malshej Ghat to start of Ani Ghat) in District Pune in the State of Maharashtra, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of Publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, Deputy Collector, Land Acquisition No. 17, Pune in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections;

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final; and

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km 101/000 to Km 161/000 (From End of Malshej Ghat to start of Ani Ghat) of the National Highway No. 222 Pune District in the State of Maharashtra.

Sl. No.	Name of district	Name of the taluk	Name of the village	Survey No.	Type of land	Nature of land	Land of Area (In Sqm.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pune	1. Junnar	(1) Pargaon	24 Part	Private	Dry	2000
				25 Part	Private	Dry	1300
			(2) Gulanchwadi	18/1 Part	Private+Govt.	Dry	600
				18/2 Part	Private	Dry	1300
				9 Part	Private	Dry	300
				4/2K Part	Private	Dry	600
				4/2B Part	Private	Dry	400
				3 Part	Private	Dry	1000
				2/1 Part	Private	Wet+Dry	150
				2/2 Part	Private	Dry	500
				2/3A Part	Private	Dry	200
				2/3B Part	Private	Dry	60
				Gaothan	Private	Dry	1300
				1/1 Part	Private	Dry	100
				1/2 Part	Private	Dry	60
				1/5 + 1/6 Part	Private	Dry	20
				198 Part	Private	Wet+Dry	900
				169/1 Part	Private	Dry	400
				169/2 Part	Private	Dry	150
				169/3 Part	Private	Dry	100
				169/4 Part	Private	Dry	80
				169/5 Part	Private	Dry	25
				169/6 + 169/7 Part	Private	Dry	30
				170 Part	Private	Dry	400
				168 Part	Private	Wet+Dry	100
				197/4A Part	Private	Dry	150
				197/4B Part	Private	Dry	40
				197/4K Part	Private	Dry	80
				197/5 Part	Private	Dry	100
				167 Part	Private	Wet+Dry	100
				166 Part	Private	Wet+Dry	100
				165 Part	Private	Wet+Dry	100
				164/1 + 164/2 Part	Private	Wet+Dry	100

Sl. No.	Name of district	Name of the taluk	Name of the village	Survey No.	Type of land	Nature of land	Land of Area (In Sqm.)
1	2	3	4	5	6	7	8
				172 Part	Private	Dry	700
				173/1 Part	Private	Dry	900
				175 Part	Private	Dry	800
				177 Part	Private	Dry	150
				183/1 + 183/2 Part	Private	Dry	1000
				158 Part	Private	Wet+Dry	1000
				20 Part	Private	Dry	400
				171 Part	Private	Dry	1600
				184 Part	Private	Wet+Dry	1100
			(3) Sitewadi	4 Part	Private+Govt.	Wet+Dry	2200
				7 Part	Private	Dry+N.A.	2800
				64/10 Part	Private	Wet	500
				64/11 Part	Private	Dry	1800
				64/12 Part	Private	Wet	600
			(4) Udapaur	410 Part	Private	Dry	500
				419 Part	Private	Wet+N.A.	700
				417 Part	Private	Dry	400
				424 Part	Private	Dry	300
			(5) Otur	583 Part	Private	Wet+Dry	200
				580 Part	Private	Wet+Dry+N.A.	692
				581 Part	Private	Dry	622
				559 Part	Private	Dry+N.A.	657
				556 Part	Private	Dry+N.A.	200
				565 Part	Private	Dry+N.A.	190
				179 Part	Private+Govt.	Dry+N.A.	251
				178 Part	Private	Wet+Dry	351
				579 Part	Private	Wet+N.A.	844
				558 Part	Private	Dry+N.A.	30

[F.No.RW/NH-37014/18/2013-NHDP-IVA]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.